न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 101 सन् 2020

श्री नेमीचन्द पुत्र बस्तीमल उम्र 63 साल जाति महाजन
निवासी मेवाडीगेट बाहर जैन कॉलोनी, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
——————वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) तहसील मसूदा जिला–अजमेर
—————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 05.03.2021

संक्षिप्तः वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा में वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 3019 रकबा 0.0485 किस्म गै0मु.चाह स्थित है, जिसका वादी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि पर स्थित कुंए में पानी नही होने के कारण मूल खातेदार प्रीतमसिंह तातेड ने उक्तु कुए को मिट्टी से भरवाकर भूमि को समतल कर दिया और इसके पश्चात उक्त भूमि को वादी ने खरीद कर लिया तथा वादी ने उक्त चाह की भूमि को अब काश्त कार्य में उपयोग उपभोग करना शुरू कर रखा है। उक्त भूमि पर वर्तमान में कुआ नही होने के कारण भूमि का समतलीकरण कर देने के कारण अब भूमि चाह के रूप में काम नही आकर काश्त कार्य एंव फसल उत्पादन के रूप में काम आ रही है। वादी दिनाकं 25.8.2020 को हल्का पटवारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उक्त भूमि की किस्म गै.मु.चाह से चाही–1 के रूप में परिवर्तन करने हेतू निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने भूमि की किस्म की परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि खसरा नंबर 3019 की किस्म गै.मु.चाह के स्थान पर उसकी किस्म चाही–1 दर्ज किये जाने का आदेश पारीत किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक 5143 दिनांक 29.9.2020 में कथन किया है, कि खसरा नंबर 3019 रकबा 0.0485 किस्म गै.मु.चाह की मौके अनुसार किस्म परिवर्तन चाहता है, जो कि मौके की स्थिति अनुसार रिपोर्ट पटवारी के किस्म परिवर्तन किया जावे तो भू धारक को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने बहस में अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद डिक्री किये जाने का कथन किया गया। तहसीलदार मसूदा ने बहस में कथन किया कि यदि किस्म परिवर्तन की [illegible] तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद में भूमि खसरा नंबर 3019 [illegible] गै.[illegible] के स्थान पर चाही–1 दर्ज करने का कथन करते हुये वाद पेश किया गया है तथा अपने वाद के [illegible] में दस्तावेज साक्ष्य जमाबंदी संवत 2070 से 2076 में ख[illegible] नंबर 3019 जो वादी[illegible]नाम खातेदारी में दर्ज है, तथा उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में खसरा नंबर 3019 रकबा 06 बिस्वा किस्म गै.मु.चाह प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार तहसीलदार मसूदा व हल्का पटवारी की रिपोर्ट जो इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, उसमें हल्का पटवारी द्वारा कथन किया गया है,

................लगातार

कि उक्त भूमि मौके पर समतल है, एंव मौके पर कुंआ नही है। एंव तहसीलदार ने भी अपने पत्र में कथन किया है, कि किस्म परिवर्तन की जाती है, तो भू धारक को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा में भूमि खसरा नंबर 3019 रकबा 0.0485 किस्म गै0मु.चाह स्थित है, उसके स्थान पर खसरा नंबर 3019 की किस्म चाही–1 दर्ज किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है, तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested